

न्यायालय सहायक कलेक्टर कोर्ट, बाप नद्वजलारा

श्रीमती राजलक्ष्मी महलोत, -1999

वाम

अप्रार्थीगण

- प्राथी गण  
1. राजेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह  
2. जगदीशसिंह पुत्र मोहनसिंह  
जाति राजपुत्रसिंह निवासी बावडीकला  
तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

01. मोहनसिंह पुत्र गुलसिंह  
उर्फ गुलनसिंह  
02. देवीसिंह पुत्र मोहनसिंह  
जाति राजपुत्रसिंह निवासी  
बावडीकला तहसील फलोदी  
जिला जोधपुर (राज)  
03. राम पुत्री मोहनसिंह पत्नी  
भागीरथसिंह जाति राजपुत्रसिंह  
निवासी सखडी तहसील  
पंचमदरा जिला बाड़मेर  
04. सणुसिंह पुत्र बुलीदानसिंह  
जाति राजपुत्रसिंह निवासी  
बावडीकला तहसील फलोदी  
जिला जोधपुर (राज)

राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत पारा 212 राजस्थान कायदाकारी अधिनियम

कदमा नम्बर :- 69/2019

परिधत

1. श्री करणीसिंह राठी व श्री मदनसिंह भाटी, अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री राजेन्द्रसिंह सोलंकी अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से कोई हाजिर नहीं।

निर्णय

दिनांक : 30/05/19

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि सरहद ग्राम भाखरिया पटवार क्षेत्र तहसील बाप जिला जोधपुर में खेत खसरा नम्बर 1284 रकबा 83.17 बीघा काश्त भूमि एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की पीढियों से कदीमी पैतृक काश्त भूमि है। प्रार्थीगण एवं गण संख्या 1 से 3 गुलसिंह उर्फ गुलाबसिंह के वारिसान् है। उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं संख्या 2 ता 3 के दादा एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पिता गुलसिंह उर्फ गुलाबसिंह के नाम अधिकार अभिलेख में वक्त भू-प्रबंध दर्ज अभिलेख होने से वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एवं गण संख्या 1 से 3 की कदीमी पैतृक भूमि है जिसमें प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 का 1/5 - 1/5 हिस्सा, अप्रार्थीगण 1 ता 3 प्रत्येक का 1/5 - 1/5 हिस्सा है। उपरोक्त हिस्सेनुसार पैतृक काश्त भूमि पर प्रत्येक वर्ष अपने बंट व अधिकार अनुसार फसल एवं प्राकृतिक पैदावार का उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। दिनांक 04.02. प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्सा की भूमि में सूड कर खाद डाल रहे थे कि संख्या 1 ने सूड करने से मना किया और वेदखल करने और उक्त भूमि को आगे

सहायक कलेक्टर  
बाप (जिला जोधपुर) राज.



संख्या 1 को जरिये बंटवाड़ा नामांतरकरण संख्या 8/246 मीजा शेखासर के प्राप्त हुई है। उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं है हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत कोई भी अवलंबी को पैतृक सम्पत्ति जो लगातार चार पीढ़ियों से उत्तरोत्तर चली आ रही है और उसी पीढ़ी के पुत्र पन्नेसिंह के नाम दर्ज थी। उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति नहीं है। इसलिये उक्त भूमि के उत्तराधिकार को कोई हक अधिकार निहित नहीं होते हैं इसलिये प्रार्थीगण उक्त भूमि में प्रार्थीगण के प्रकार के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी नहीं है और अप्रार्थी संख्या 4 उक्त भूमि का रेकॉर्डड खातेदार है जिसको उक्त भूमि को उपयोग उपयोग व अंतरण करने का अधिकार प्राप्त है। अंत में वकील अप्रार्थीगण ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत एवं मिथ्या होने पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वहस पर मनन किया। वाद अवलोकन पाया गया कि खसरा नम्बर 1284 रकबा 83.17 बीघा भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज है उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को जरिये बंटवाड़ा नामांतरकरण संख्या 8/246 मीजा शेखासर के जरिये प्राप्त हुई है, उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 1 को अपने पिता या पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं हुई है जो भूमि पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी में नहीं आती है न ही प्रार्थीगण ने उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति होने बावजूद कोई दस्तावेजीय साक्ष्य ही प्रस्तुत की है जो राजस्व रेकॉर्ड में स्पष्ट है। अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि के रेकॉर्डड खातेदार है जिसे अपने नाम दर्ज भूमि को अंतरण करने का पूरा पूरा अधिकार है। अप्रार्थी संख्या 4 उक्त भूमि का सदभाविक क्रेता है। इसलिये सुविधा का संतुलन एवं प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूर्ण्य क्षति का विन्दु अप्रार्थीगण के हित में है तथा अप्रार्थी संख्या 1 उक्त वादग्रस्त भूमि के रेकॉर्डड खातेदार है और अप्रार्थी संख्या 4 उक्त भूमि का सदभाविक क्रेता होने से उनके विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा ताफूसला मूल वाद जारी किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत नहीं होता है। सम्पूर्ण विचारण एवं अवलोकन से प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन पाया जाता है एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

### आदेश

प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन पाया जाने से दिनांक 28.02.2019 को जारी अंतरिम स्थगन आदेश निरस्त किया जाता है और उनवान प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है। पत्रावली को तल सुमार होकर नम्बर से कम हो और संलग्न दावा रहे।

निर्णय सरे ईजलास आज दिनांक 30/5/19 को सुनाया गया।



सहायक कलेक्टर  
बाप (मिस्सा सोधपुर), राज.